

एकमुश्त समाधान योजना

चर्चा में क्यों?

हाल ही में उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन की ओर से प्रदेश के बजिली उपभोक्ताओं के लिये एकमुश्त समाधान योजना (ओटीएस) जारी कर दी गई है। यह योजना आठ नंबर से 31 दिसंबर, 2023 तक तीन चरणों में लागू की जाएगी।

प्रमुख बिंदु

- इस योजना का पहला चरण 8 से 30 नवंबर, दूसरा चरण 1 दिसंबर से 15 दिसंबर और तीसरा चरण 16 दिसंबर से 31 दिसंबर तक चलेगा।
- इस योजना के तहत 50 से 100 फीसदी तक छूट मिलेगी। यह शत-प्रतशित छूट एक कलिवोट वाले उपभोक्ताओं को मिलेगी।
- बजिली चोरी में पकड़े गए लोगों, स्थाई रूप से कटे कनेक्शन वाले बकायेदारों और न्यायालय के लंबित मामले में भी समाधान योजना में शामिल किया जा सकेगा।
- वदिति हो कि प्रदेश में हर साल एकमुश्त समाधान योजना (ओटीएस) लागू होती रही है। पछिले दिनों मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ओटीएस लागू करने पर जोर दिया था। ऐसे में पावर कॉरपोरेशन की ओर से ओटीएस योजना जारी की गई है।
- समस्त वदियुत भार के एलएमवी-1 (घरेलू), एलएमवी-2 (वाणजियकि), एलएमवी-4बी (नजिी संस्थान), एलएमवी-5 (नजिी नलकूप) एवं एलएमवी-6 (औद्योगकि) उपभोक्ताओं को सरचारज (वलिनंभ भुगतान अधभार) राशापर अधकितम 100 प्रतशित की छूट दी जाएगी। साथ ही उपभोक्ताओं को उनके बकाये पर कशितों में भुगतान की भी सुवधि दी जाएगी।
- योजना में एक कलिवोट से अधकि भार वाले घरेलू उपभोक्ताओं को एकमुश्त भुगतान के साथ कशितों में भुगतान के दो वकिल्प दिये गये हैं।
 - 30 नवंबर तक अपने बकाये का पूरण भुगतान पर 90 प्रतशित की छूट, तीन कशितों में भुगतान पर 80 प्रतशित की छूट तथा छह कशितों में भुगतान पर 70 प्रतशित की छूट मिलेगी।
 - एक से 15 दिसंबर तक पूरण भुगतान पर 80 प्रतशित की छूट, तीन कशितों में भुगतान पर 70 प्रतशित तथा छह कशितों में भुगतान पर 60 प्रतशित की छूट,
 - 16 दिसंबर के बाद पूरण भुगतान पर 70 प्रतशित की छूट, तीन कशितों में भुगतान पर 60 प्रतशित तथा छह कशितों में भुगतान पर 50 प्रतशित की छूट मिलेगी।
- इसी प्रकार तीन कलिवोट भार तक के वाणजियकि उपभोक्ताओं द्वारा 30 नवंबर तक अपने बकाये का पूरण भुगतान पर 80 प्रतशित तथा तीन कशितों में भुगतान पर 70 प्रतशित की छूट मिलेगी। इसके पश्चात के चरणों में दोनों वकिल्पों में भुगतान पर क्रमशः 10 प्रतशित कम की छूट मिलेगी।
- तीन कलिवोट से अधकि के भार वाले वाणजियकि उपभोक्ताओं द्वारा 30 नवंबर तक पूरण भुगतान पर 60 प्रतशित तथा तीन कशितों में भुगतान पर 50 प्रतशित की छूट मिलेगी।
- नजिी वाणजियकि संस्थानों और औद्योगकि उपभोक्ताओं को 30 नवंबर तक अपने बकाये के पूरण भुगतान पर 50 प्रतशित तथा तीन कशितों में भुगतान पर 40 प्रतशित की छूट मिलेगी। इसके पश्चात के चरणों में दोनों वकिल्पों में भुगतान पर क्रमशः 10 प्रतशित कम की छूट मिलेगी।
- कशितों को नयित अवर्धा में जमा न करने पर 12 कशितों के मामले में अधकितम कुल 3 डफिलट (नरिधारति तथिपर जमा न करने) की अनुमतिहोगी। कसिी भी उपभोक्ता को लगातार 2 डफिलट की अनुमति नहीं होगी। इसी प्रकार 6 कशितों के प्रकरण में केवल एक डफिलट की अनुमतिहोगी तथा 6 कशितों से कम के मामलों में कोई डफिलट की अनुमति नहीं होगी।
- नजिी नलकूप के उपभोक्ताओ को उनके 31 मार्च, 2023 तक के देय सरचारज एवं अन्य सभी अरह उपभोक्ताओं को उनके 31 अक्टूबर, 2023 तक के देय सरचारज में छूट दी जाएगी।